न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 226/2007

रामकल्याण पुत्र रामनाथ जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादी

♠ बनाम ♠

1. रामरतन पुत्र छोगालाल जाति मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां
3. खेमराज पुत्र गजानन्द जाति मीणा निवासी छत्रपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री हरीश राजावत

वकील प्रतिवादी कम 1 : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादी कम 3 : कोई उपस्थित नही है।

दायरा दिनांकः 03.08.2007 निर्णय दिनांक : 15.10.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी खसरा नं0 75 रकबा 0.30 है0, खसरा नं0 115 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 179 रकबा 0.15 है0, खसरा नं0 216 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 410 रकबा 1.26 है0, खसरा नं0 412 रकबा 1.88 है0, खसरा नं0 568 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 583 रकबा 4.25 है0, खसरा नं0 1037 रकबा 1.58 है0 कुल किता 9 रकबा 10.35 है0 वाके माल तिसाया तह0 मांगरोल जिला बारां में स्थित है। जिसके बन्दोबस्त के पूर्व के नम्बर इस प्रकार है।

हाल खसरा नं0	क्षेत्रफल	साबिक खसरा नं0	क्षेत्रफल
75	0.30 है0	218	10 बीघा 18 बिस्वा
115	0.05 है0	192	2 बिस्वा
179	0.15 है0	184	1 बीघा 2 बिस्वा
216	0.23 है0	70	1 बीघा 07 बिस्वा
410	1.26 है0	218 मि0	
412	1.88 है0	220	11 बीघा 12 बिस्वा
568	0.05 है0	386	32 बीघा 11 बिस्वा
583	4.85 है0	386 मि0	

[illegible]	8.77 है0	किता 7	60 बीघा 18 बिस्वा
[illegible]	1.58 है0	627	11 बीघा 14 बिस्वा

खसरा नं0 1037 रकबा 1.58 है0 जिसके पुराने खसरा नं0 627 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा केसरीलाल पुत्र [illegible] आदि मीणा निवासी तिसाया तहसील मांगरोल के खाते में सम्वत 2021 से 2024 तक की जमाबंदी में केसरीलाल का नाम दर्ज था, लेकिन केसरीलाल वादी के पिता के काका थे जिन्होने आपसी सहमति से राजीनामा करके वादी के खाते में दर्ज करा दिया। एवं जमाबंदी सम्वत 2037 से 2040 तक मे शामलाती रूप से रामनाथ पुत्र केदार बेटे धन्नालाल के 1/2 हिस्से में आराजी दर्ज है, रामनाथ की मृत्यु के बाद विरासत का इंतकाल वादी व उसके भाईयों के नाम इंताकल दर्ज हो गया है, जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसकी जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है। सेटलमेंट से पूर्व वादी के पिता के खाते कुल 60 बीघा 18 बिस्वा शामलाती रूप से 1/2 हिस्से में दर्ज थी, सेटलमेंट के बाद उक्त आराजी को वर्तमान में 8.77 है0 दर्ज किया गया गत के मुकाबलें वर्तमान में वादी के खाते में 0.48 है0 की कमी करके राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार पुराना खसरा नं0 627 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा के वर्तमान में नये खसरा नं0 1037 रकबा 1.58 है0 दर्ज की है, जो गत के मुकाबले 0.32 है0 आराजी कम दर्ज की गई है, इस प्रकार वादी के खाते में कुल 0.80 है0 आराजी की कमी करके दर्ज किया गया है, जिसको वादी दुरूस्त करवाकेर खाते में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वदी वर्तमान में खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 पर काबिज काश्त है, जिसके पुराने खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा है, जिस पर वादी जन्म से ही काश्त कर रहा है, लेकिन प्रतिवादी नं0 1 ने राजस्व कार्मिको से मिलकर गलत बयान बाजी के आधार पर चुपचाप अपने नाम ऐलोट करवा ली है, जबकि प्रतिवादी नं0 1 का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है, वादी ही उक्त आराजी को काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार वादी को कम दिया गया कुल रकबा 0.80 है0 है। जिसकी पूर्ती वादी खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 जिसके पुराने खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा है, जिस पर वादी एवं वादी के पिता बरसों से काश्त करते चले आ रहे है, पूर्ती कराने का अधिकारी है। अतः निवेदन है कि वादी के गत आराजी के मुकाबले कम हुआ रकबा 0.80 है0 वर्तमान में खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 से पूर्ती कर खातेदार घोषित किया जावें। एवं प्रतिवादी नं0 1 को पाबंद किया जावें कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार का व्यवधान काश्त करने में उत्पन्न नही करें, ऐसा न तो स्वयं करें, और नही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 03.08.2007 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 व 3 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता

[illegible] सिंह हाड़ा ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है:-

01. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 1 से 3 अस्वीकार है।
02. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 वाके माल तिसाया तह0 मांगरोल पर प्रतिवादी कम 1 काबिज काश्त चला आ रहा है वर्तमान में यह आराजी प्रतिवादी के गैरखातेदारी में दर्ज हो रही है
03. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 5, 6 व 7 अस्वीकार है, विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
04. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 8, 9 व 10 कानूनी है।

विशेष आपत्तिया:-

01. यह है कि प्रतिवादी 1 को खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 आराजी वाके माल तिसाया में दिनांक 20.09.1998 को आवंटन हुई थी। आवंटन आदेश पर आवंटन सहालकार समिति के अध्यक्ष उपजिला कलक्टर मांगरोल सरपंच ग्राम पंचायत तिसाया विकास अधिकारी अंता के हस्ताक्षर हो रहे है।
02. आवंटन के पश्चात मौके पर जाकर हल्का पटवारी व भू0 अभि0 निरीक्षक ने दिनांक 20.09.1998 को ही आराजी का दखल देकर प्रतिवादी कम 1 को आराजी पर कब्जा दे दिया कब्जा देने के पश्चात से ही प्रतिवादी आवंटित आराजी खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 पर काबिज काश्त चला आ रहा है। और इंतकाल नं0 141 से प्रतिवादी के आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया है।
03. वादी ने अपने वाद पत्र की मद नं0 1 में आराजी का विवरण दिया है इसमें खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 व पुराने खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा का कोई उल्लेख नही है।
04. वादी ने प्रतिवादी के जो आवंटन दिनांक 20.09.1998 को हुआ है उस आवंटन के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष पेश कर रखी है। इसलिए यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध पेश नही कर सकता।
05. यह कि प्रतिवादी नं0 1 के खाते में दर्ज आराजी खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 से लगा हुआ रकबा खसरा नं0 412 का है जो वादी के खाते में दर्ज है। जिसका रकबा कम नही हो रहा है।
06. यह है कि प्रतिवादी कम 1 के गैरखातेदारी में दर्ज खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 में से वादी की आराजी की कमी पूर्ति नही की जा सकती है। क्योकि प्रतिवादी की आराजी से वादी का काई वास्ता नही है। कभी भी कब्जा नही रहा है।

यह है कि खसरा नं0 413 के पूर्व खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा थे जो मृतक खातेदार रूकमा बेवा गौरू के खाते दर्ज थे। जो इंतकाल नं0 26 से सिवायचक घोषित कर दी गयी। अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

प्रतिवादी क्रम 3 की ओर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो निम्नानुसार है:–

01. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 2 व 3 अस्वीकार है।
03. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 4 में वर्णित आराजी खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 जिसके पुराने खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा है जिसका प्रवितादी क्रम 3 पुश्तैनी जायदाद होने की वजह से खातेदार दर्ज होना चाहिए था। विशेष आपत्तियों में दर्ज है।
04. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है।
05. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 6 स्वीकार है।
06. यह है कि वाद पत्र की मद नं0 7, 8, 9, 10 कानूनी है अस्वीकार है।

विशेष कथन:–

01. पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

रूकमा ——————→ मांगीबाई ——————→ खेमराज पुत्र

02. यह कि प्रतिवादी की नानी रूकमा बेवा गौरू के खाते की आराजी खसरा नं0 73 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं0 383 रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा माल तिसाया में स्थित थी। जिसके नये खसरा नं0 218 रकबा 0.28 है0 पर खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 खसरा नं0 707 रकबा 0.13 है0 दर्ज किया गया। उक्त आराजी रूकमा बेवा गौरू के खाते दर्ज थी। लेकिन राजस्व रेकार्ड में रूकमा बैवा गौरू के कोई औलाद नही बताते हुए सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि यह आराजी रूकमा की बेटी मांगी बाई के खाते दर्ज होना चाहिए थी। तथा प्रतिवादी क्रम 3 मांगी बाई का पुत्र है। इस प्रकार से प्रतिवादी उक्त आराजी का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः जवाब दावा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारिज फरमाया जावें। तथा प्रतिवादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावें।

...में वादी द्वारा जवाब ... जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार:–

1. यह कि काउन्टर क्लेम की मद नं0 1 में वर्णित पारिवारिक सजरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

2. काउन्टर क्लेम की मद नं0 2 अस्वीकार है। वादी को प्रतिवादी नं0 3 के परिवार से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादी नं0 3 ने विवादित आराजी को कभी भी काश्त नही किया है। वादी आज भी काबिज काश्त है। अतः जवाब उल–जवाब पेश कर निवेदन है कि काउन्टर क्लेम निरस्त फरमाया जावे।

वाद, जवाब दावा व जवाबुल के आधार पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गईः–

01. आया वादी साबिक खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 माल तिसाया पर काबिज काश्त है। वादी अपने कमी रकबे 0.84 है0 की पूर्ति कराने का अधिकारी है। वादी

02. आया खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 आराजी साबिक खसरा नं0 221 को प्रतिवादी 1 ने राजस्व कार्मिको से मिलकर बयान बाजी करके अपने नाम आवंटित कराकर गैरखातेदारी में दर्ज कराली। वादी

03. आया साबिक खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 वाके माल तिसाया प्रतिवादी कम 3 की नानी रूकमा बेवा गोरू के खातेदारी की आराजी है, जिसको लाऔलाद बताते हुए सिवायचक आराजी दर्ज कर दी। जिसको पुनः अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी कम 3

04. दादरसी

वादी ने अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 रामकल्याण पीडब्ल्यू 2 लटूरलाल व पीडब्ल्यू 3 हेमराज के बयान करवाये गये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 ग्राम तिसाया प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2037 से 2040 प्रदर्श 3 जमाबंदी सम्वत 2059 से 2062 प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 व प्रदर्श 6 नोटिस धारा 80 सीपीसी।

प्रकरण सन 2007 से लम्बित है। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की जाती है। प्रस्तुत दस्तावेज बयानो के आधार पर वकील प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर निम्न प्रकार से तनकी वाईज निर्णय पारित किया जा रहा हैः–

तनकी नं0 1 व 2 एक दूसरे से संबंधित होने की वजह से एक साथ निर्णय पारित किया जा रहा है।

[illegible] 1 व 2– वाद पत्र की मद नं0 4 में वादी ने लिखा है कि साबिक खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 वाके माल तिसाया की आराजी पर उसका कब्जा [illegible] चला आ रहा है, जबकि इस खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 को प्रतिवादी ने अपने नाम आवंटित करा लिया है। तथा गैरखातेदारी भी दर्ज करा ली है।

प्रतिवादी कम 3 ने अपने जवाब दावा में कहा है कि आराजी खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 उसकी नानी रूकमा बेवा गोरू की खाते की आराजी है। जिसको सिवायचक घोषित दर्ज कर दिया गया है। तथा प्रतिवादी कम 1 ने अपने जवाब दावे में कहा है कि खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 वाके माल तिसाया कि आराजी दिनांक 20.09.1998 को आवंटन की गयी थी। मौके पर जाकर राजस्व कार्मिको ने कब्जा दखल दिया था। तथा इंतकाल नं0 141 से आवंटित आराजी प्रतिवादी कम 1 के गैरखातेदारी में दर्ज कर ली गई थी। तथा आगे कथन किया कि प्रतिवादी कम 1 के गैरखाते में दर्ज आराजी से वादी के कमी रकबे की पूर्ति नही की जा सकती।

वकील प्रतिवादी कम 1 के अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस तरफ दिलाया कि वादी के दस्तावेज प्रदर्श 1 से लेकर प्रदर्श 5 तक में आराजी खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 का जिक्र नही है। यह आराजी सिवायचक सिलींग आराजी थी। जो विधिअनुसार प्रतिवादी कम 1 के आवंटित की गयी। और प्रतिवादी के गैरखातेदारी में दर्ज है। इस तरह प्रतिवादी कम 1 के गैरखातेदारी में दर्ज आराजी से वादी का कमी रकबा पूरा नही किया जा सकता। वकील प्रतिवादी कम 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादी या प्रतिवादी कम 3 को आवंटन से कोई आपत्ति है तो आवंटन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करें। या जो भी उचित कार्यवाही हो वह करें। इस न्यायालय से घोषणा की रिलीफ वादी नही करा सकता।

प्रतिवादी कम 3 व प्रतिवादी कम 1 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही की गयी है। लेकिन वाद वादी ने पेश किया है। और वादी को ही अपना वाद साबित करना है। मेरी राय में आराजी खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 साबिक खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा आराजी वाके ग्राम तिसाया को स्वयं वादी ने प्रतिवादी कम 1 के आवंटन व गैरखातेदारी में बताया है यही बात वादी ने अपने बयानो की जिरह में बताया है। जिरह में यह भी कहां है कि मुझे ध्यान नही है। खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा रूकम बेवा गोरू के खातेदारी में रही हो। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 2 लटूरलाल व पीडब्ल्यू 3 हेमराज वादी को किसी भी प्रकार की मदद नही करते है।

वादी प्रतिवादी कम 1 के गौरखातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नं0 413 रकबा 0.84 है0 में से कमी पूर्ति रकबा 0.80 है0 पूरा कराकर अपने पक्ष में घोषणा कराना चाहता है जो नियम विरूद्ध है। प्रतिवादी कम 1

[illegible] आवंटन होकर गैरखातेदारी में आराजी दर्ज की गयी है। जिसके लिए वादी के पक्ष में घोषणा नही की जा सकती। प्रतिवादी कम 1 गैरखातेदार है। इसलिए उसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी नही की जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी कम 1 के पक्ष किया जाता है।

तनकी नं0 3:– यह तनकी प्रतिवादी कम 3 को साबित करनी थी। प्रतिवादी कम 3 ने ना तो साक्ष्य पेश किय और ना ही कोई दस्तावेज पेश किया है। जिससे यह साबित हो कि खसरा नं0 221 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा उसकी नानी रूकमा पत्नि गौरू की खातेदारी में दर्ज रही हो। और फिर सिवायचक सिलींग घोषित कर दी हो। वर्तमान में आराजी प्रविवादी कम 1 के आवंटन के बाद गैरखातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी कम 3 का प्रवितादी कम 1 के पक्ष में हुए आवंटन के विरूद्ध अपील करनी चाहिए थी। यह न्यायालय काउन्टर क्लेम के आधार पर कोई रिलीफ नही दे सकता। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी नं0 3 प्रतिवादी कम 3 के विरूद्ध व प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

दादरसी:– वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 खारिज किया जाता है। डिकी बनायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.10.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

1•58 हैक्टर कुल किता 9 रकबा